



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>

ई.मेल-hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2705471

क्रमांक: एफ1(92)पीएस/निकाशि/13/पार्ट/५२०

दिनांक 30-05-2023

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 के तहत नियुक्त संकाय सदस्य के लिए आचार्य पद पर पदोन्नति(सीएएस योजनान्तर्गत) प्रक्रिया में अपात्र रहे सह-आचार्यों से प्राप्त परिवेदनाओं के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक एफ1(92)पीएस/निकाशि/13/पार्ट/410 दिनांक 23.05.2023 एवं पत्र क्रमांक एफ1(92)पीएस/निकाशि/13/पार्ट/418 दिनांक 26.05.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 के तहत नियुक्त संकाय सदस्य जिन्होंने आचार्य पद हेतु आवेदन किया था और कमियों के कारण पदोन्नत होने से रह गए थे, वे अपना आवेदन पत्र अद्यतन कर मय दस्तावेजों के मूल महाविद्यालय में 31.05.2023 तक जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही ऐसे सह-आचार्य जिन्होंने 13.01.2023 के पूर्व संबंधित महाविद्यालय में अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया था परंतु किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके वे भी अपने विकल्प अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। अन्य सभी प्रक्रियाएं उपरोक्त संदर्भित पत्रों अनुसार रहेगी:-

(सुनील शर्मा)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित सह आचार्य को सूचित करें।
3. वेबसाईट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।